

15.52 hrs.

Title: Discussion on the National Cooperative Development Corporation (Amendment) , Bill, 2002 (Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up item No.9 – National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill. Shri Hukumdeo Narayan Yadav.

कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक (राज्य सभा द्वारा यथापारित) पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक बहुत दिनों से सदन में आता रहा, जाता रहा और बहुत लम्बी अवधि के बाद 1962 में और संशोधन करने वाला विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो गया। 1985 में राज्य सभा से लोक सभा में, फिर स्टैंडिंग कमेटी में, फिर कैबिनेट कमेटी में आया। जब यह हमारे सामने योजना आयोग से होकर विधेयक आया तो अब इस विधेयक में संशोधन करके इसके क्षेत्र को हम व्यापक करना चाहते हैं।

सहकारिता का आज के युग में जो वैश्वीकरण, उदासीकरण और विश्व में दुनिया भर के जो विस्तार आ रहे हैं, उसकी कार्यवाही के अन्तर्गत सहकारिता को भी उसके अनुरूप हम बना सकें और जो नीचे के क्षेत्र तक सहकारी काम करने वाले हैं, कमजोर वर्ग हैं, किसान हैं, सीमांत किसान हैं, रमाल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और शैड्यूल्ड कारस्ट्स-शैड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं, माइनोरिटीज, महिला और श्रमिक वर्ग के लोग हैं, ऐसे बहुत से हमारे सहकारी समिति में काम करने वाले हैं। उन्हें काम करने में कई तरह की बाधाएं पैदा होती हैं। राज्य सरकारों की गारण्टी लेने पर हम उन्हें कर्ज देते हैं, इसमें कई तरह की असुविधाएं होती हैं और उन्हें काम करने में असुविधाएं होती हैं। उन सब को दूर करके इस विधेयक को इस तरह से हम व्यापक बना रहे हैं कि कोई सहकारी समिति या कोई नीचे पैक्स हो, अगर वे सक्षम हैं और एन.सी.डी.सी. की नजर में सक्षम हैं, सबल हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं तो उन्हें सीधे हम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की गारण्टी के बिना भी उन्हें आगे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज दे सकते हैं।

इस विधेयक के आने से हमें कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। सर्विस के क्षेत्र में टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्श्योरेंस, होटल्स, रैस्टोरेंट्स, मेंटीनेंस एण्ड रिपेयर्स, कम्युनिकेशन, फूड, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, रूरल हाउसिंग, आल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इत्यादि जो हमारे सर्विस के क्षेत्र हैं, उसमें भी हम आगे बढ़कर कोआपरेटिव के मार्फत काम करने वाले लोगों को सुविधा देने वाले हैं। यह बहुत ही लाभकारी विधेयक है, गरीब, गांव, किसान और सामान्य जन के लिए उपयोगी है। यह बहुत दिन से पड़ा हुआ है, समय कम है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इसे जल्दी पारित कर दें ताकि एन.सी.डी.सी. के मार्फत हम लोगों की सेवा कर सकें। अगर बहस भी न करें तो अति उत्तम है। इसे पारित कर दें, जिससे उन गरीबों का काम हम आगे बढ़ा सकें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कोआपरेटिव से सम्बन्धित संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज देश में कोआपरेटिव का महत्व बहुत बढ़ गया है। सारे देश में लगभग 180 मिलियन लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। देश के अंदर 3 लाख 53 हजार से ज्यादा सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिनकी शेयर कैपिटल 7000 करोड़ रुपए के बराबर है और वर्किंग कैपिटल 80,000 करोड़ रुपए है। हमारे देश के अंदर इस सहकारी आंदोलन ने धीरे-धीरे अपनी पैठ जमा ली है। आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का 30 प्रतिशत भाग सहकारिता के माध्यम से काम करता है। इसी तरह से देश के अंदर बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, उसमें 43 प्रतिशत एग्रीकल्चर लोन का टोटल भाग कोआपरेटिव सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। इसी तरह से सहकारी समितियों के माध्यम से करीब 35 प्रतिशत खाद का वितरण होता है। हमारे देश में सहकारिता ने चीनी उत्पादन के क्षेत्र में चमत्कारिक काम किया है। आज देश के 63 प्रतिशत चीनी उत्पादन का जो एरिया है, उसमें कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। इसी तरह से यार्न प्रोडक्शन के एरिया में भी यह सिस्टम काम कर रहा है।

आज विश्व में भारत दूध उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। हमारे देश में 70 मिलियन टन के लगभग दूध पैदा होता है। इस सहकारिता सिस्टम के माध्यम से जो गरीब घर हैं, सीमित किसान हैं, जिनकी होल्डिंग बहुत कम है, उन्होंने अपने रोजगार के साधन के रूप में सहकारिता सिस्टम से बहुत लाभ उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी हिन्दुस्तान आए थे। मैं उस दौरान का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो इसी सहकारिता आंदोलन से सम्बन्धित है। देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको राजस्थान के एक गांव नगला में लेकर गए। वहां पर उन्होंने महिला कोआपरेटिव सोसाइटी की कार्य पद्धति से उन्हें अवगत कराया। जब बिल क्लिंटन ने उसको देखा, तब उस सहकारी समिति की एक पढ़ी-लिखी महिला सदस्य ने उनको कहा :-

"Mr. Clinton, we have deposited enough money in our cooperative societies that if America needs a loan we can give that loan to America."

तब बिल क्लिंटन साहब ने कहा था कि हां, यह जो कार्ड आपने मुझे दिया है और आपने मुझे इस सोसाइटी का सदस्य बनाया है, मैं इस कार्ड को अपने साथ अमेरिका ले जा रहा हूँ और इसको व्हाइट हाउस में रखूंगा। यह हमारे कोआपरेटिव सिस्टम का कमाल है कि विदेशियों ने भी, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने भी इसे देश में आकर देखा कि किस प्रकार से हमारा कोआपरेटिव सिस्टम दिन-रात प्रगति की ओर जा रहा है। वरना हमारे देश की छवि ऐसी बनी हुई थी कि जब भी हमारा कोई नेता या कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो हमें अखबारों में कार्टून देखने को और खबरे पढ़ने को मिलती थी कि -- "दे दो अल्लाह के नाम पर दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। ये अनाज और पैसा मांगने के लिए आए होंगे।"

16.00 hrs.

मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने न केवल देश का

उपाध्यक्ष महोदय : रतन लाल जी, चार बजे हैं। 193 टेक-अप करना है। आप कल कंटीन्यू कर सकते हैं।

श्री रतन लाल कटारिया : आज को-आपरेटिव सिस्टम के माध्यम से जिस तरह का हमें लाभ पहुंचा है, *â€* (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रतन लाल जी, आपको और कितना टाइम चाहिए?

श्री रतन लाल कटारिया : जब भी मेरा तवा गर्म होने लगता है, आप बीच में रोक देते हैं। मुझे 15 मिनट और दे दें। मुझे इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहना है। *â€* (व्यवधान) Sir, I am on my legs. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jha, I am able to contain him.

... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : चार बजे 193 शुरू होना है। आप इसके बारे में कल कंटीन्यू करिएगा।